सार्वजनिक–सूचना / नोटिस

प्रायः देखने में आया है कि निगम क्षेत्रान्तर्गत स्ट्रीट वैन्डर्स द्वारा पर्याप्त क्षमता का डस्टबिन नहीं रखा जाता है कि जिस कारण स्थल पर गन्दगी व्याप्त रहती है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट रूल्स–2016 एवं उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध विधेयक, 2016 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत इस नोटिस के माध्यम से समस्त स्ट्रीट वैन्डर्स/दुकानदारों आदि को सूचित किया जाता है कि वह अपने संस्थान, दुकान, ठेली आदि के पास कनस्तर, डिब्बा आदि न रखकर पर्याप्त क्षमता का लिटर बिन/डस्टबिन रखना सुनिश्चित करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अपने संस्थान, दुकान, ठेली आदि के समस्त कूड़े को उक्त लिटर बिन/डस्टबिन में ही डाला जाये, तदोपरान्त उक्त लिटर बिन/डस्टबिन का निस्तरण नगर निगम के कूड़ा वाहन/डस्टबिन में किया जाये।

नोटिस जारी होने के एक सप्ताह उपरान्त उपरोक्तानुसार व्यवस्था न पाये जाने की स्थिति में उल्लेखित अधिनियम के अन्तर्गत नगर निगम देहरादून द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों/संस्थानों, दुकान, ठेंली आदि के विरूद्ध चालानी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का स्वयं का होगा।

नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।

G20

नगर नि देहरादून

कार्यालय नगर निगम, देहरादून

दूरभाष–0135–2714074, फैक्स–0135–2651060, website-www.nagarnigamdehradun.com
Email-nagarnigam.ddn@gmail.com.

पत्रांक 38/ST/023 — दिनांक 27/01/023

प्रतिलिपिः–

1. मा0 महापौर, नगर निगम देहरादून को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सम्पादक हिन्दुस्तान समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के देहरादून संस्करण में आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए निर्धारित छूट के साथ बिल इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
3. मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त सफाई निरीक्षक/समस्त सफाई सुपरवाईजरों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये तथा जिन व्यक्तियों/संस्थानों/प्रतिष्ठानों द्वारा आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है उनके विरूद्ध चालानी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
5. आई0टी0 अधिकारी को इस निर्देश के साथ उक्त को नगर निगम की बैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. कार्यालय प्रति।

नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।